रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 6, 2017/फाल्गुन 15, 1938
No. 160] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 6, 2017/PHALGUNA 15, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(वन संरक्षण प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2017

सा.का.नि. 200(अ).—केन्द्रीय सरकार, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वन (संरक्षण) नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन (संरक्षण) संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2 वन (संरक्षण) नियम, 2003 में -

(क) नियम 2 में, धारा (ग क) के पश्चात, निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

'(गकक) "जिला कलक्टर" से यथास्थिति राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जिला कलक्टर अथवा उप-आयुक्त के पदाभिधान अथवा ऐसे किसी सदृश पदाभिधान के अधीन उस वन भूमि, जिसके लिए अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है, पर क्षेत्राधिकार रखने वाले राजस्व जिले के प्रशासन का प्रभार धारण करने के लिए नियुक्त किया गया अधिकारी अभिप्रेत है।';

(ख) नियम 6 में -

(i) उप-नियम (3) में, खंड (ड.), (च) और (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड क्रमश: रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(ड.) जिला कलक्टर-

(i) प्रस्ताव में उपदर्शित पूर्ण वन भूमि हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन वासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबंधों के अनुसार वन अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें निहित करने की प्रक्रिया पूरी करेगा;

(ii) अपवर्तन के प्रयोजन तथा ब्यौरे, जहां कहीं अपेक्षित हो, को समझ लेने पर ऐसी वन भूमि के अपवर्तन तथा प्रतिपूरक और सुधारात्मक उपायों, यदि कोई हों, के प्रस्ताव में इंगित संपूर्ण वन भूमि अथवा इसके भाग पर क्षेत्राधिकार रखने वाली प्रत्येक ग्राम सभा से सहमति प्राप्त करना; और

(iii) इस संबंध में अपने निष्कर्षों को वन संरक्षक को अग्रेषित करना;

(च) खंड (ड.) में निर्दिष्ट संपूर्ण प्रक्रिया, प्रस्ताव के अधिनियम के अधीन सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान किए जाने हेतु इन नियमों में नियत समयावधि के अन्दर, जिला कलेक्टर द्वारा पूरी की जाएगी;

(छ) वन संरक्षक प्रस्ताव के तथ्यात्मक ब्यौरे एवं व्यवहार्यता की जांच करेगा, अपवर्तित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल 40 हेक्टेयर से अधिक होने की दशा में स्थल पर निरीक्षण करेगा, और अपनी सिफारिशों के साथ प्रस्ताव नोडल अधिकारी को अग्रेषित करेगा;" ;

(ii) उप-नियम (4) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अन्त:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :

"(5)(क) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, संरक्षित क्षेत्रों, संरक्षित क्षेत्रों के पारिस्थितिकी-संवेदी जोन, अभिज्ञात बाघ कोरिडोर तथा 10 प्रतिशत से अनधिक वनाच्छादित क्षेत्रों से बाहर के खनन ब्लॉकों में वृक्षों की कटाई किए बिना खनिजों का पूर्वेक्षण करने तथा नई सड़क अथवा मार्ग के संनिर्माण के लिए इस अधिनियम के अधीन अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शीर्ष घनत्व, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार एक पत्र के रूप में एक भू-संदर्भित मानचित्र सहित प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें पूर्वेक्षण किए जाने वाले ब्लॉक की सीमा, प्रत्येक बोर-होल स्थल तथा पूर्वेक्षण हेतु प्रयोग की जाने वाली सड़कों अथवा मार्गों की अवस्थिति उपदर्शित की गई हो; और इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि प्रस्ताव नोडल अधिकारी की पूर्वोक्त अपेक्षाओं को पूरा करता है;

(ख) नोडल अधिकारी खंड (क) के अधीन प्रस्ताव प्राप्त हो जाने पर और उसका यह समाधान हो जाने पर कि भू-संदर्भित मानचित्र और प्रमाण पत्र ठीक क्रम में हैं, प्रस्ताव को इसके प्राप्त होने के दस दिनों के अन्दर प्रभागीय वन अधिकारी को भेजेगा;

(ग) यदि नोडल अधिकारी यह पाता है कि भू-संदर्भित मानचित्र अथवा प्रमाण पत्र ठीक क्रम में नहीं है तो वह प्रस्ताव को दस दिनों के अंदर प्रयोक्ता अभिकरण को वापस लौटा देगा और नोडल अधिकारी द्वारा लिया गया समय तथा प्रयोक्ता अभिकर्ता द्वारा भू-संदर्भित मानचित्र और प्रमाण पत्र को पुन: प्रस्तुत करने में लिये गये समय की गणना भविष्य के किसी भी संदर्भ के लिए नहीं की जाएगी;

(घ) ऐसे प्रस्तावों को, उनकी प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, अंतिम रूप से निपटान करने हेतु प्रभागीय वन अधिकारी, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किए गए भू-संदर्भित मानचित्र और प्रमाणपत्र को अधिप्रमाणित

करेंगे और उसे यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन, या यथास्थिति राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जो नोडल अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, को अग्रेषित करेंगें;

(ड.) भू-संदर्भित मानचित्र और प्रमाणपत्र की जांच के पश्चात और ऐसी और जांच जो आवश्यक समझी जाएं, करने के पश्चात ऐसे मामलों के अंतिम रूप से निपटान हेतु यथा स्थिति राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, या यथास्थिति राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विधिवत प्राधिकृत अधिकारी, जो नोडल अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन खनिजों के पूर्वेक्षण की अनुमति देंगे, या प्रभागीय वन अधिकारी से प्रस्ताव प्राप्त होने के पच्चीस दिन के भीतर उसे अस्वीकार कर देंगे और उसकी संसूचना अगले पांच दिन के भीतर संबंधित प्रभागीय अधिकारी और प्रयोक्ता अभिकरण को सूचित कर देंगें;

(6) (क) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वृक्षों की कटाई किए बिना खनिजों का पूर्वेक्षण करने के लिए और संरक्षित क्षेत्रों के बाहर के खनन ब्लॉक, संरक्षित क्षेत्रों के पारिस्थितिकी-संवेदी जोन, अभिज्ञात बाघ कोरीडोर और चालीस प्रतिशत से कम वनावरण में नई सड़कों या रास्तों का निर्माण करने के लिए अधिनियम के अधीन अनुमोदन प्राप्त प्रस्ताव। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारत की नवीनतम वन-स्थिति रिपोर्ट के अनुसार नोडल अधिकारी को ऊपरी सघनता, पूर्वेक्षण खंड की सीमा, प्रत्येक बोर होल साइट के स्थान पर पूर्वेक्षण हेतु प्रयोग में आने वाली सड़कों और रास्तों को इंगित करते हुए भू-संदर्भित मानचित्र और इस आशय का प्रमाणपत्र कि यह प्रस्ताव उपर्युक्त अपेक्षाओं को पूरा करता है, प्रस्तुत किया जाएगा;

(ख) नोडल अधिकारी खंड (क) के अधीन प्रस्ताव प्राप्त करने और उसका यह समाधान हो जाने पर कि भू-संदर्भित मानचित्र और प्रमाणपत्र ठीक क्रम में है, प्रस्ताव को प्राप्त होने के दस दिन की अवधि के भीतर प्रभागीय वन अधिकारी को भेजेगा;

(ग) यदि नोडल अधिकारी यह पाता है कि भू-संदर्भित मानचित्र या प्रमाणपत्र ठीक क्रम में नहीं हैं तो वह इस प्रस्ताव को दस दिन की अवधि के भीतर प्रयोक्ता अभिकरण को वापस लौटा देगा और नोडल अधिकारी द्वारा ली गई उक्त समयावधि और प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रस्ताव को पुन:प्रस्तुत करने की समयावधि को किसी भावी संदर्भ के लिए नहीं गिना जाएगा;

(घ) प्रभागीय वन अधिकारी, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत भू-संदर्भित मानचित्र और प्रमाण-पत्र प्रमाणित करेगा और भू-संदर्भित मानचित्र और प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर सीधे नोडल अधिकारी को अग्रेषित करेगा;

(ड.) खंड (क) के अधीन नोडल अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रस्ताव को इन नियमों के नियम 6 और नियम 7 के उप नियम (3) और उप नियम 4 के खंड (झ) से खंड (ड) में यथा उपबंधित रीति और अवधि में आगे और प्रसंस्कृत किया जाएगा;

(ग) नियम 7 में -

(ज) उप नियम 2 में खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:

"यदि प्रस्ताव में एक सौ हेक्टेयर से अधिक वन भूमि अथवा पट्टे का नवीकरण अन्तर्वलित हो तो क्षेत्रीय कार्यालय, यथास्थिति राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र प्रशासन से सभी बाबत पूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर, अपवर्तित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का निरीक्षण करेगा और स्थल निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगा :

परन्तु वन भूमि में खनिजों का पूर्वक्षण करने हेतु अधिनियम के अधीन अनुमोदन की वांछा करने वाले प्रस्तावों के मामले में, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पूर्व स्थल निरीक्षण तभी अपेक्षित होगा जब सड़कों, मार्गों के निर्माण; वेध छिद्र की खुदाई और सभी ऐसे वनेतर उद्देश्यों हेतु अपेक्षित वन भूमि का क्षेत्र एक सौ हेक्टेयर से अधिक हो।";

(ii) उप-नियम (4) में खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात :-

"(ग) यदि प्रस्ताव में एक सौ हेक्टेयर से अधिक वन भूमि और पट्टे का नवीकरण अन्तर्वलित है तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सभी बाबत पूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति के दस दिन के भीतर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से अनुरोध करेगा कि वह अपवर्तित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का निरीक्षण करे और पैंतालीस दिन के भीतर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करें:

परन्तु वन भूमि में खनिजों का पूर्वेक्षण करने हेतु अधिनियम के अधीन अनुमोदन की वांछा करने वाले प्रस्तावों के मामले में, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पूर्व स्थल निरीक्षण तभी अपेक्षित होगा जब सड़कों, मार्गों के निर्माण; वेध छिद्र की खुदाई और सभी ऐसे वनेतर उद्देश्यों हेतु अपेक्षित वन भूमि का क्षेत्र एक सौ हेक्टेयर से अधिक है।"

परन्तु यह और कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से क्षेत्रीय कार्यालय को स्थल निरीक्षण के लिए अनुरोध की संसूचना देने तथा क्षेत्रीय कार्यालय से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को स्थल निरीक्षण रिपोर्ट सम्प्रेषित करने में लगने वाला कुल समय, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्थल निरीक्षण करने में लिए गए समय के अतिरिक्त, दस दिन से अधिक नही होगा";

(घ) नियम 8 के उप-नियम (1) में,-

(i) खंड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात :-

"(छ) यदि वन संरक्षक यह पाता है कि अनुपालन रिपोर्ट सभी बाबत पूर्ण है तो वह नियम 6 के उप-नियम (3) के उप-खंड (च) में निर्दिष्ट जिला कलक्टर से प्राप्त वन अधिकारों को मान्यता देने तथा निहित होने और प्रत्येक ग्राम सभा की सहमति की प्रक्रिया पूरी होने संबंधी रिपोर्ट के साथ ऐसी रिपोर्ट प्रभागीय वन अधिकारी से प्राप्त होने के पंद्रह दिन की अवधि के भीतर नोडल अधिकारी को अग्रेषित करेगा :

परन्तु यदि वन संरक्षक यह पाता है कि अनुपालन रिपोर्ट पूर्ण नहीं है तो वह वन प्रभागीय अधिकारी से इसकी प्राप्ति की पंद्रह दिन की अवधि के भीतर उपभोक्ता अभिकरण और वन प्रभागीय अधिकारी को अनुपालन रिपोर्ट में कमी अथवा कमियों के बारे में बताएगा";

(ii) खंड (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात :-

"(झ) यदि नोडल अधिकारी यह पाता है कि अनुपालन रिपोर्ट सभी बाबत पूर्ण है तो वह ऐसी रिपोर्ट वन संरक्षक से इसकी प्राप्ति की पंद्रह दिन की अवधि के भीतर, यथास्थिति राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को अग्रेषित करेगा:

परन्तु यथास्थिति राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अनुपालन रिपोर्ट सीधे ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजने के लिए नोडल अधिकारी को प्राधिकृत करेगा:

परन्तु यह और भी कि यदि नोडल अधिकारी यह पाता है कि अनुपालन रिपोर्ट अपूर्ण है तो वह उपयोक्ता अभिकरण, वन संरक्षक और प्रभागीय वन अधिकारी को अनुपालन रिपोर्ट में कमी या कमियों के बारे में वन संरक्षक से इसकी प्राप्ति के पंद्रह दिन की अवधि के भीतर सूचित करेगा।

(iii) खंड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात :-

"(ड) यदि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या क्षेत्रीय कार्यालय, यथास्थिति, यह पाता है कि अनुपालन रिपोर्ट हर प्रकार से पूर्ण है तो वह इस अधिनियम के अधीन अंतिम अनुमोदन प्रदान करेगा और ऐसे अनुमोदन के बारे में यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को अनुपालन रिपोर्ट की प्राप्ति के बीस दिन की अवधि के भीतर सूचित करेगा :

परन्तु यदि यथास्थिति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या क्षेत्रीय कार्यालय यह पाता है कि अनुपालन रिपोर्ट अपूर्ण है तो वह अनुपालन रिपोर्ट में कमी या कमियों के बारे में यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, नोडल अधिकारी और उपयोक्ता अभिकरण को अनुपालन रिपोर्ट की प्राप्ति के बीस दिन की अवधि के भीतर सूचित करेगा ।"

[फा. सं. 11-43/2013-एफसी (खण्ड)]

दीपक कुमार सिन्हा, वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण)

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. 23(अ), तारीख 10 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा.का.नि. 94(अ), तारीख 03 फरवरी, 2004; सा.का.नि. 107(अ), तारीख 09 फरवरी, 2004; सा.का.नि. 185(अ), तारीख 14 मार्च, 2014 और सा.का.नि. 713(अ), तारीख 10 नवम्बर, 2014 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(Forest Conservation Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2017

G.S.R. 200(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Forest (Conservation) Rules, 2003, namely: -

1. (1) These rules may be called the Forest (Conservation) Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Forest (Conservation) Rules, 2003, -

(a) In rule 2, after clause (ca), the following clause shall be inserted, namely: -

'**(caa) "District Collector"** means an officer appointed by the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, under the designation of District Collector or Deputy Commissioner or any such similar designation, to hold charge of the administration of the revenue district having jurisdiction over the forest land for which the approval of the Central Government under the Act is required.';

(b) in rule 6, -

(i) in sub-rule (3), for clauses (e), (f) and (g), the following clauses shall respectively be substituted, namely:-

"(e) the District Collector shall-

(i) complete the process of recognition and vesting of forest rights in accordance with the provisions of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) for the entire forest land indicated in the proposal;

(ii) obtain consent of each Gram Sabha having jurisdiction over the whole or a part of the forest land indicated in the proposal for the diversion of such forest land and compensatory and ameliorative measures, if any, having understood the purposes and details of diversion, wherever required; and

(iii) forward his findings in this regard to the Conservator of Forests;

(f) the entire process referred to in clause (e) shall be completed by the District Collector within the time period stipulated in these rules for grant of in-principle approval under the Act to the proposal;

(g) the Conservator of Forests shall examine the factual details and feasibility of the proposal, carry out site-inspection in case the area of forest land proposed to be diverted is more than forty hectares, and forward the proposal along with his recommendations to the Nodal Officer;" ;

(ii) after sub-rule (4), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

"(5) (a) notwithstanding anything contained in these rules, the proposal to obtain approval under the Act to undertake prospecting of minerals without felling of trees and construction of new road or path in mining blocks falling outside the protected areas, eco-sensitive zone of protected areas, identified tiger corridors and having no forest cover of more than ten percent crown density as per the latest India State of Forest Report published by the Forest Survey of India, shall be submitted by the User Agency in a letter form along with a georeferenced map indicating boundary of the prospecting block, location of each bore-hole site and roads or paths to be used for prospecting; and a certificate to the effect that the proposal meets the afore-mentioned requirements to the Nodal Officer;

(b) the Nodal Officer, after having received the proposal under clause (a) and on being satisfied that the geo-referenced map and the certificate are in order, shall send the proposal to the Divisional Forest Officer within a period of ten days of the receipt of the proposal;

(c) if the Nodal Officer, finds that the geo-referenced map or the certificate are not in order, he shall return the proposal within a period of ten days to the User Agency and the said period taken by the Nodal Officer and the time taken by the User Agency to re-submit the geo-referenced map and the certificate shall not be counted for any future reference;

(d) the Divisional Forest Officer shall authenticate the geo-referenced map and certificate submitted by the User Agency and forward the same directly to the State Government or Union territory Administration, as the case may be, or an officer not below the rank of the Nodal Officer, authorized by the State Government or Union territory Administration, as the case may be, to finally dispose of such proposals, within thirty days of its receipt;

(e) the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, or the officer not below the rank of the Nodal Officer, duly authorised by the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, to finally dispose of such proposals, after examination of the geo-referenced map and certificate and after such further enquiry as it may consider necessary, grant permission for prospecting of minerals subject to fulfillment of stipulated conditions, or reject the same within twenty-five days of receipt of the proposal from the Divisional Forest Officer and communicate the same to the concerned Divisional Forest Officer and the User Agency, within next five days;

(6) (a) notwithstanding anything contained in these rules, proposal to obtain approval under the Act to undertake prospecting of minerals without felling of trees and construction of new road or path in mining blocks falling outside the protected areas, eco-sensitive zone of protected areas, identified tiger corridors and having no forest cover of more than forty percent crown density as per the latest India State of Forest Report published by the Forest Survey of India, shall also be submitted in a letter form along with a geo-referenced map indicating boundary of the prospecting block, location of each bore-hole site and roads or paths to be used for prospecting; and a certificate to the effect that the proposal meets the afore-mentioned requirements to the Nodal Officer;

(b) the Nodal Officer, after having received the proposal under clause (a) and on being satisfied that the geo-referenced map and the certificate are in order, shall send the proposal to the Divisional Forest Officer within a period of ten days of the receipt of the proposal;

(c) if the Nodal Officer, finds that the geo-referenced map or the certificate are not in order, he shall return the proposal to the User Agency within a period of ten days and the said period taken by the

Nodal Officer and the time taken by the User Agency to re-submit the proposal shall not be counted for any future reference;

(d) the Divisional Forest Officer shall authenticate the geo-referenced map and certificate submitted by the User Agency and forward the same directly to the Nodal officer, within a period of thirty days of receipt of the geo-referenced map and the certificate;

(e) the proposal received by the Nodal Officer under clause (d) shall be further processed in the manner and within the period as provided in clause (i) to clause (m) of sub-rule (3) and sub-rule (4) of rule 6 and rule 7 of these rules." ;

(c) In rule 7 –

(h) in sub-rule (2), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:

"In case a proposal involves forest land more than one hundred hectares or renewal of lease, Regional Office shall within forty-five days of the receipt of the proposal complete in all respects from the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, inspect the forest land proposed to be diverted and prepare a site inspection report:

Provided that in case of the proposals seeking approval under the Act for prospecting of minerals in forest land, prior site inspection by the Regional Office shall be required only if the area of forest land required for construction of roads, paths, drilling of bore holes and all such non-forest purpose is more than one hundred hectares." ;

(ii) in sub-rule (4), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :-

"(c) in case the proposal involves forest land more than one hundred hectares or renewal of lease, the Ministry of Environment, Forests and Climate Change shall within ten days of the receipt of a proposal complete in all respects, request the concerned Regional Office to inspect the forest land proposed to be diverted and submit a report to the Ministry of Environment, Forests and Climate Change within a period of forty-five days:

Provided that in case of the proposals seeking approval under the Act for prospecting of minerals in forest land, prior site inspection by the Regional Office shall be required only if the area of forest land actually required for construction of roads, paths, drilling of bore holes and all such non-forest purpose is more than one hundred hectares:

Provided further that the total time taken in communication of the request for site inspection from the Ministry of Environment, Forests and Climate Change to Regional Office and communication of the site inspection report from the Regional Office to the Ministry of Environment, Forests and Climate Change shall not be more than ten days, over and above the time taken in undertaking site inspection by the Regional Office." ;

(d) in rule 8, in sub-rule (1), -

(i) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:-

"(g) in case the Conservator of Forests finds that the compliance report is complete in all respect, he shall forward such report along with the report on completion of the process of recognition and vesting of forest rights and consent of the each Gram Sabha received from the District Collector referred to in sub-clause (f) of sub-rule (3) of rule 6, to the Nodal Officer within a period of fifteen days of its receipt from the Divisional Forest Officer:

Provided that in case the Conservator of Forests finds that the compliance report is incomplete, he shall communicate the shortcoming or shortcomings in the compliance report to the User Agency and the Divisional Forest Officer within a period of fifteen days of its receipt from the Divisional Forest Officer" ;

(ii) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

"(i) in case the Nodal Officer finds that the compliance report is complete in all respect, he shall forward such report to the State Government or Union territory Administration, as the case may be, within a period of fifteen days of its receipt from the Conservator of Forests:

Provided that the State Government or the Union Territory Administration, as the case may be, may authorize the Nodal Officer to send the compliance report directly to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the Regional Office, as the case may be:

Provided further that in case the Nodal Officer finds that the compliance report is incomplete, he shall communicate the shortcoming or shortcomings in the compliance report to the User Agency, the Conservator of Forests and the Divisional Forest Officer within a period of fifteen days of its receipt from the Conservator of Forests:" ;

(iii) for clause (m), the following clause shall be substituted, namely:-

"(m) in case the Ministry of Environment, Forests and Climate Change or the Regional Office, as the case may be, finds that the compliance report is complete in all respect, it shall accord the final approval under the Act and communicate such approval to the State Government or the Union Territory Administration, as the case may be, within a period of twenty days of the receipt of the compliance report :

Provided that in case the Ministry of Environment, Forests and Climate Change or the Regional Office, as the case may be, finds that the compliance report is incomplete, the shortcoming or shortcomings in the compliance report shall be communicated to the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, the Nodal Officer and the User Agency, within a period of twenty days of the receipt of the compliance report."

[F. No. 11-43/2013-FC (Vol.)]

DEEPAK KUMAR SINHA**,** Inspector General of Forests (Forest Conservation)

Note :— The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 23(E), dated the 10th January, 2003 and subsequently amended vide G.S.R. 94(E), dated the 3rd February, 2004; vide G.S.R. 107(E), dated the 9th February, 2004; vide G.S.R. 185(E), dated the 14th March, 2014 and vide G.S.R. 713(E), dated the 10th November, 2014.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.03.08 15:57:02 +05'30'